**सचिव**
**राज्यपाल, राजस्थान**

सत्यमेव जयते

**राज्यपाल सचिवालय, राजभवन**
**जयपुर - 302 006**
**फोन : +91-141-2228792**
**फैक्स : +91-141-2221156**

क्रमांक एफ.1(25)आरबी/95/
दिनांक– जनवरी, 2021

## परिपत्र

राजभवन द्वारा कुलपतिगणों द्वारा भेजे गए अवकाश/ड्यूटी लीव/विदेश यात्रा/दौरे व मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन पत्रों के संबंध में समय–समय पर आदेश जारी किये जाते हैं। पूर्व निर्देश दिनांक 15.01.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्नाकिंत निर्देश प्रदान किये गये है–

1. राजकीय कार्य हेतु क्षेत्राधिकार से बाहर भ्रमण करने की अनुमति, मुख्यालय छोड़ने के पूर्व प्राप्त कर ली जावें। **किसी भी स्थिति में राज्यपाल सचिवालय को सूचित किए बिना मुख्यालय ना छोड़ा जावें।**
2. क्षेत्राधिकार में की गई यात्रा की सूचना/यात्रा कार्यक्रम यथासमय राजभवन को प्रेषित कर दिया जावें।
3. विदेश यात्रा संबंधी आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावें तथा कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जावे।
4. अवकाश आवेदन/मुख्यालय छोड़ने बाबत् आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप में भेजा जावे तथा सभी कॉलम्स की पूर्ति सुनिश्चित की जावे।
5. **आपात स्थिति में मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में ई–मेल/ दूरभाष द्वारा सूचित कर ही मुख्यालय से प्रस्थान किया जावे।**
6. कुलपति द्वारा अवकाश पर जाने से पूर्व कार्यभार अन्य सक्षम अधिकारी को देकर जावे।
7. केवल वही राजकीय यात्राएं की जावे जो विश्वविद्यालय की गतिविधियों से सीधे संबंधित हो तथा विश्वविद्यालय के उन्नयन व शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोगी हो।
8. वर्कशॉप/ सेमीनार में भाग लेने के पश्चात्, रिपोर्ट के माध्यम से राजभवन को यह सूचित किया जावे कि किस प्रकार से वर्कशॉप/ सेमीनार में भाग लिया जाना विश्वविद्यालय के लिए लाभकारी रहा।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तासार

Sd-

(सुबीर कुमार)

D:\All Letter.Docx

क्रमांक : एफ.1(25)आर.बी./95/198 दिनांक : 13 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :–

1. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 अनुज सक्सेना)
विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा–I

# अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के लिए आवेदन पत्र

1. विश्वविद्यालय का नाम :

2. कुलपति का नाम :

3. विश्वविद्यालय कार्य/ ड्यूटी हेतु :

   मुख्यालय से बाहर रहने का कारण :

   – यात्रा का कारण ( संबंधित पत्रादि संलग्न करें) :

   – अवधि :

   – यात्रा का व्यय भार किसके द्वारा वहन किया जायेगा :

4. आवेदित अवकाश हेतु–

   – अवकाश किस्म :

   – अवकाश का उद्देश्य :

   – यात्रा का स्थान :

   – रविवार तथा राजकीय अवकाश यदि कोई हो, जो अवकाश के पहले या बाद में हो :

   – मुख्यालय से बाहर रहने की कुल अवधि :

   (बिन्दु 3 + 4)

5. अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में कार्यभार दिये जाने वाले सक्षम अधिकारी का नाम व पदनाम :

(हस्ताक्षर)
कुलपति

सचिव,
राज्यपाल सचिवालय
राजस्थान

राजभवन,
जयपुर - 302 006
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांकः एफ.1(25)आरबी/95/366
दिनांक 15 जनवरी, 2020

कुलपतिगण
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषय :– अवकाश/ड्यूटी लीव/विदेश यात्रा/दौरे व मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदनों के संबंध में।

संदर्भ :– राजभवन का परिपत्र कमांक एफ.1(25)आरबी/95/1456 दिनांक 24.2.2016 (प्रति संलग्न) व दिनांक 12.08.2016

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.02.2016 तथा इस विषय में राजभवन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन करें।

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में अभी भी कुलपतिगण द्वारा अपना आवेदन उसी दिन अथवा अवकाश/दौरे की दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया जा रहा है तथा कुलपतिगण द्वारा अवकाश पर जाने से पूर्व कार्यभार अन्य सक्षम अधिकारी को नहीं दिया जा रहा है जो अनुचित है।

अतः निर्देशानुसार समस्त कुलपतिगण से पुनः अपेक्षा है कि राजभवन के परिपत्र दिनांक 24.02.2016 के निर्देशों की पालना करें तथा अवकाश/ड्यूटी लीव/विदेश यात्रा/दौरे अथवा मुख्यालय छोड़ने के आवेदन यथासमय निर्धारित प्रपत्र में राजभवन को ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें तथा अवकाश/मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अपना कार्यभार सक्षम अधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(सुबीर कुमार)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार